कुलपतियों के सम्मेलन में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण

दिनांक 30 सितम्बर 2023, शनिवार	समय : 10:00 AM	स्थान : खानापाड़ा, असम

- असम के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रनोज पेगू जी
- असम सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सलाहकार श्री ननी गोपाल महंत जी
- चांसलर सचिवालय के सलाहकार श्री मिहिर कान्ती चौधरी जी
- अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री बिश्वरंजन समाल जी
- राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव श्री एस.एस मीनाक्षी सुंदरम जी
- राज्यपाल के सचिव
- विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति
- उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशकगण
- उपस्थित राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों,
- स्वायत्त कॉलेजों और तीन अन्य कॉलेजों, जो जल्द ही विश्वविद्यालय बनने वाले हैं, के के प्राचार्यगण

नमस्कार।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि असम में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे संभव बनाने के लिए आप सभी को मेरी बधाई।

मुझे उम्मीद है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) के संकाय सदस्यों को पूरी तरह से उन्मुख और उत्साहित किया गया है, जैसा कि शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 में शामिल होने वाले नए विद्यार्थियों और उनके माता-पिता और अभिभावक भी हो सकते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनईपी 2020 के लागू होने के साथ शिक्षा नीति में एक आदर्श बदलाव आया है। मुझे विश्वास है कि नीति के निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रम को उपयुक्त रूप से फिर से डिजाइन किया गया है।

मैं शिक्षा नीति निर्माताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि वे नीति निर्देशों के अनुरूप शिक्षण और शिक्षाशास्त्र की योजना सावधानीपूर्वक तैयार करें। मेरा तात्पर्य व्यावसायिक, कौशल, योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों आदि सहित सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों के उचित क्रेडिटाइजेशन से है।

शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक/संकाय सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, संकाय का चयन बिना किसी समझौते के किया जाना चाहिए और साथ ही सीएएस पदोन्नति सहित पदोन्नति भी होनी चाहिए।

प्रिय अकादमिक नेतृत्वकर्ताओं, मुझे भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कुछ चयन और पदोन्नति आदर्श तरीके से नहीं हो रही हैं, जैसा कि कुछ शिक्षकों ने मेरे सचिवालय को सूचित किया है। यदि इसमें थोड़ी-सी भी सच्चाई है, तो कृपया अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गलत चयन या पदोन्नति का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे अंततः विद्यार्थियों को नुकसान उ□ाना पड़ेगा।

यदि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, तो बेझिझक अपने सुझाव चांसलर सचिवालय को भेजें। इस संदर्भ में, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 18 जुलाई 2023 की अधिसूचना** को ध्यान से पढ़ें, जिसमें उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों को स्पष्ट और विस्तृत रूप से रेखांकित किया गया है। कुलपतियों सहित सभी प्रकार के चयनों के लिए उपाय सुझाए गए हैं। इन विनियमों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

एक अन्य समस्या साहित्यिक चोरी से संबंधित है। साहित्यिक चोरी की कई शिकायतें जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, वे हमारे ध्यान में लाई गई हैं। इनमें से कुछ की जांच भी की गई है और वे 30 या 40% से लेकर लगभग 70% तक भिन्न-भिन्न सीमा तक सत्य पाए गए हैं। हमारा समाज यह जानने के लिए उत्सुक है कि देश के कानून के अनुसार दंडात्मक उपायों के साथ इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं। यहां मैं शिक्षण संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं से जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का अनुरोध करना चाहिए। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति/आगंतुक के रूप में मैं आपमें से प्रत्येक, संस्थागत प्रमुख से एक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना चाहूंगा।

एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के विषय पर वापस आते हुए, क्रियान्वयन के कुछ पहलुओं में गैर-एकरूपता के बारे में सुनकर मुझे चिंता हुई है। कुछ विश्वविद्यालय एक "मेजर" एक "माइनर" प्रारूप का पालन कर रहे हैं, तो कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने दो "मेजर" और एक "माइनर"प्रारूप को अपनाया है। यदि यह सच है और ऐसा प्रतीत होता है, तो असम में एनईपी-2020 के क्रियान्वयन में एकरूपता कैसे आएगी।

एक छात्र के लिए एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की सुविधा कहाँ है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में एनईपी के क्रियान्वयव की व्यवस्था में असंख्य समस्याएं हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रिय नेतृत्वकर्ता, अगर हम इस मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

अंत में, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पहल से पिछली कैबिनेट में छह (06) नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इस पर मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि देश के अग्रणी एचईआई द्वारा उनमें से प्रत्येक को मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आईआईटी के लिए बिल्कुल यही किया गया है. मैंने आपके ध्यान में कई मुद्दे लाए हैं जिनका समाधान आवश्यक है।

अब मैं इन सभी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान निकालने और मुझे आगे बढ़ने के मार्ग के बारे में बताने के अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

धन्यवाद,

जय हिन्द।